HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12237/2024

Rod Singh S/o Pur Singh, Aged About 55 Years, R/o Borbund, Police Station Raipur, District Jhalawar (Rajasthan) (Presently Confined In Bhawani Mandi Sub Jail).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anubodh Subodh Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Omkar Singh Rajpurohit, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

13/12/2024

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना भवानीमण्डी, जिला–झालावाड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 265/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 8/20, 29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के आधिपत्य से 1 किलो 970 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 14.06.2024 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के जो 10 आपराधिक प्रकरण संस्थित होना बताये गये हैं, उनमें से चार प्रकरण वर्ष 2010 से पूर्व के हैं। उक्त प्रकरणों में से तीन प्रकरणों में प्रार्थी को दोषमुक्त किया जा चुका है व एक प्रकरण में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जा चुका है और एक प्रकरण में प्रार्थी को सजा हुई है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के 10 आपराधिक मामले संस्थित होना बताये गये हैं, जिनमें स्वयं प्रार्थी के अनुसार ही वह दो प्रकरणों में दोषसिद्ध किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के तीन प्रकरण इसी प्रकृति के संस्थित हुए हैं, जो निरन्तर वर्ष 2019, 2021 व 2023 के हैं। इस प्रकार प्रार्थी–अभियुक्त आदतन अपराधी है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20, 29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से 1 किलो 970 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। यद्यपि उक्त बरामद मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से कम है, परन्तु प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के 10 आपराधिक मामले संस्थित हैं, जिनमें से दो प्रकरणों में उसे दोषसिद्ध भी किया जा चुका है तथा प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के तीन प्रकरण इसी प्रकृति के संस्थित हुए हैं, जो निरन्तर वर्ष 2019, 2021 व 2023 के हैं। इस प्रकार प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा पूर्व के प्रकरणों में जमानत का लाभ प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक बार जमानत की सुविधा का दुरूपयोग करते हुए अपराध कारित किया है। प्रार्थी–अभियुक्त आदतन अपराधी है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त के आचरण को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /25